फोन नंबर: +91 01792-252315
ई-मेल: dres@uhf.ac.in, वेबसाइट: www.yspuniversity.ac.in

डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय

नौणी–173 230 सोलन (हिमाचल प्रदेश)
अनुसंधान निदेशालय
निदेशक अनुसंधान

संख्याः यू.एच.एफ. / डी.आर. / VII-34/2026-27/- 7870-7920 दिनांकः 12.03.2026

अधिसूचना

माननीय कुलपति डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा मेसर्स ओरियन फैसिलिटीज एवं सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़—अम्बाला राजमार्ग, एस.ए.एस. नगर मोहाली, पंजाब को आगामी वित्त वर्ष **2026-27 (01.04.2026 से 31.03.2027)** तक समान सेवा/प्रशासनिक शुल्क **0.84%** पर विश्वविद्यालय के हित में बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या **Fin(C)B(15)-B/2013 दिनांक** 01.12.2021 द्वारा प्रसारित निर्देशों के संदर्भ में तथा विश्वविद्यालय के कुल सचिव के कार्यालय आदेश संख्या **UHF/Regr/GA/5-294/2024-40349-73 दिनांक 03.03.2025** को ध्यान में रखते हुए मेसर्स ओरियन फैसिलिटीज एवं सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़—अम्बाला राजमार्ग, एस.ए.एस. नगर मोहाली, पंजाब पूर्व की तरह से प्रधान निविदाकार रहेगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम वेतन को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित कर अपनाया जाएगा तथा प्रति कार्य दिवस के हिसाब से उपरोक्त श्रमिकों को देय होगा। उपरोक्त अधिसूचना और निविदा दस्तावेज में उल्लिखित अन्य नियम और शर्तें भी अपरिवर्तित रहेंगी। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी।

Industrial Dispute Act, 1947 तथा Industrial Dispute Rule, 1947 (HP) के तहत अकुशल श्रमिकों को नीचे दर्शाए गए अवकाश दिए जाएंगे। जब कोई अकुशल श्रमिक अन्य अवकाशों पर (सार्वजनिक अवकाश के अलावा) रहेगा तो उस श्रमिक की दैनिक मजदूरी का भुगतान ठेकेदार स्वयं वहन करेगा तथा अवकाश पर गए श्रमिक की जगह वैकल्पिक श्रमिक देगा ताकि विभाग का कार्य सुचारू रूप से चले।

(अ) **सार्वजनिक अवकाश:** 7 दिन

(गणतंत्र दिवस, शिवरात्रि, होली, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, दीवाली)

(ब) **स्थानीय अवकाश:** 1 दिन

(जो संबंधित जिला अधिकारी द्वारा घोषित किया हो)

(स) **आकस्मिक अवकाश:** 7 दिन

(लगातार 30 दिन की उपस्थिति के उपरांत)

(द) **बीमारी के लिए अवकाश:** 7 दिन

(सरकारी अस्पताल/डिस्पेंसरी/ईएसआई से चिकित्सा प्रमाण पत्र और स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)

इसके अलावा कंपनी/आउटसोर्स एजेंसी की ओर से दिन-प्रतिदिन के संचालन को संभालने की जिम्मेदारी श्री सचिन (9816847120) को दी गई है और संबंधित पत्राचार ईमेल आईडी orion67sss@gmail.com पर किए जा सकते हैं। विभाग/बाह्य एजेंसी ESI और EPF से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए श्री विकास (8284006393) से संपर्क कर सकते हैं। नौकरी और ऑफिस टाइमिंग एवं वेतन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए श्री नीरज सूरी — 9815652939/ श्री अश्वनी शर्मा (9813898096) से संपर्क कर सकते हैं। यदि कंपनी के उपरोक्त प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं किया जाता है, तो कृपया मामले को कमांडर संजय कुमार सिन्हा (रीजेनल हेड)— 95016-66239 के ध्यान में लाया जा सकता है।

देविना वैद्य 12.03.26

निदेशक अनुसंधान

पृष्ठांकन संख्याः 7870–7920 दिनांकः 12.03.2026

उपरोक्त प्रतिलिपि सूचना एवं आगामी कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:

1. सभी संवैधानिक अधिकारी, डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी—सोलन।
2. अधिष्ठाता, औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, नेरी, हमीरपुर/थुनाग गोहर (गुडहारी), जिला मंडी ।
3. सभी विभागाध्यक्ष, औद्यानिकी / वानिकी महाविद्यालय , नौणी—सोलन।
4. समस्त सहनिदेशक / प्रभारी बाह्य केंद्र, डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय।
5. प्राध्यापक एवं प्रभारी (कम्प्यूटिंग एवं सूचना विज्ञान केंद्र, डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी—सोलन को इस आशय के साथ की इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करे ।
6. सचिव, कुलपति, डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी—सोलन।
7. मसर्स ओरियन फैसिलिटीज एवं सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़—अम्बाला राजमार्ग, एस.ए.एस. नगर मोहाली, पंजाब।

देविना वैद्य 12.03.26

निदेशक अनुसंधान